

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

आर० लक्ष्मणन,
सरकार के अपर सचिव।

2/2/15

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

निदेशक प्रसारण-स०-अपर सचिव कोषागार
पत्र डायरी संख्या 387
दिनांक 28.2.15

अपर सचिव कोषागार



पटना-15, दिनांक : 18 फरवरी, 2015

चयन वर्ष, 2015 के लिए गैर-राज्य असीनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।

अपर सचिव

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाधिकारी) नियम, 1954 के नियम-8(2) तथा भा०प्र०से०(चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के नियम-4 के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में भा०प्र०से० में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं, जो (1) बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी नहीं हैं, (2) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (3) दिनांक 01.01.2015 (प्रथम जनवरी दो हजार चन्द्रह ई०) को 54 वर्ष के नहीं हुए हों तथा (4) अधिष्ठाई दिनांक से राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव रखते हैं।

2. विषयगत नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प, ज्ञापांक-1900, दिनांक 02.04.2012 के आलोक में अपेक्षित होगी। इस हेतु 02(दो) रिक्तियों के निर्धारण का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित है। भारत सरकार द्वारा रिक्तियों के निर्धारण के उपरान्त ही प्रस्ताव में किसी प्रकार की अग्रतर कार्यवाई प्रत्याशित होगी।

3. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित पदाधिकारियों में पत्र संख्या-1 में विनिर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरूप योग्यतम 02(दो) पदाधिकारियों का चयन विनिर्दिष्ट शर्तों, बंधनों एवं औपचारिकताओं के अनुरूप पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजातों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ भेजने की कृपा की जाय:-

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय। इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे। उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनमें से एक विभागीय प्रधान/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा दूसरे, उक्त विभाग के ही अधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे (यदि कोई अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे;

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण/दक्षता के होंगे। उनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई आरोप प्रमाणित भी नहीं हो;

(ग) पदाधिकारियों के पूर्ण एवं सुस्पष्ट सेवा-इतिहास (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहरताक्षरित हो) के अलग पृष्ठ (Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाएंगे;

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति की विवरणी प्रतिबंदन, समीक्षा एवं स्वीकरण के साथ ही-प्रॉडिंग सहित विवरणी का अलग पत्र संलग्न किये जायें, साथ ही अद्यतन एवं पूर्ण



5/3/15
18/3/15
15/3/15

(तिथि:पूर्ण) मूल चरित्र-पुरितियों/उन चरित्र पुरितियों के सभी पृष्ठों की छायाप्रतियाँ संलग्न की जायें। जिन तिथियों अथवा अवधि की गोपनीय अभ्युक्ति नहीं की जाये/अभिलिखित न हों, या अनुपलब्ध हों, उनके अभिलिखित न होने/अनुपलब्ध होने का प्रमाण सहित प्रमाण-पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो) आवश्यक संलग्न किये जायें।

(ड) पदाधिकारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय आरोप, मंत्रिमंडल (निगरानी) निष्पन्न तथा लोकायुक्त कार्यालय के यहाँ मामला लंबित नहीं रहने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (जो संबंधित पदाधिकारियों की पूर्ण सत्यानिष्ठा सत्यापित की जा सके,

(छ) पदाधिकारियों के पूर्व पदस्थापन विवरणी(वेतन मान सहित) सम्मिलित किया जाय;

(ज) पदाधिकारियों के मनोनयन उनके पैतृक विभागों द्वारा ही किये जायें।

(झ) पात्रता के लिये निर्धारित भारत सरकार की शर्तों (जिनका संक्षेप संयुक्त कंडिका-1 एवं संलग्न संगत नियमावली की कंडिका-4 में है) के पूर्णतः अधीन रहने/पूर्णतः प्रयोजन से गठित की जाने वाली विभागीय समितियों द्वारा अनुशंसित/अनुशंसित के प्रतिनिधित्व को भी दृष्टिगत करने का यथासंभव प्रयास भी किया जाय; और

(ट) प्रशासी विभागों की चयन समिति की कार्यवाही की मूलप्रति एवं संलग्न का सम्मिलित छायाप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किये जाने वाले मनोनयन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें। समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त लिया जाय तथा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि चयन समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर प्रशासी विभाग के प्राप्त मनोनयन किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होगी।

4. कंडिका-3 में वर्णित शर्तों एवं बंधनों के आलोक में अनुशंसा का प्रेषण सभी आवश्यक सूचनायें एवं कामजात अनुबद्ध विहित प्रपत्र में संलग्न किए जायें। किसी सूचना/कामजात के अभाव में प्राप्ता मनोनयन विचारणीय नहीं होगा।

5. विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में अगर किसी पदाधिकारी को अनुशंसित किया गया है, तो उनको पुनः अनुशंसित करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वे इस पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधनों के अन्तर्गत आते हैं।

6. अनुरोध है कि विभागीय मनोनयन 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध करवाये जायें।

अनुलग्नक-

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प झापांक- 4900 दिनांक 02.04.2012 की प्रति।
- (2) मा0प्र0से0(चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 की कंडिका-4 से संबंधित पृष्ठ।
- (3) आवश्यक सभी प्रपत्र(7 पृष्ठों में)।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

निदेशक (प्र0)

जापांक-3/कू0वि0(मा0प्र0से0)स्था0-04/15
प्रतिलिपि :- कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 2604, दिनांक 18.02.2015 (अनुलग्नक सहित) की प्रति के साथ सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
2. उनसे अनुरोध है कि गैर राज्य असेनिक सेवा (बिहार कृषि सेवा) के पदाधिकारियों का चयन द्वारा मा0प्र0से0 में नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन विहित प्रपत्र में इच्छित एवं योग्य पदाधिकारी अपना-अपना अभ्यावेदन पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 30.04.2015 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सरकार के द्वारा जारी किया।
/कू पटना, दिनांक 20 अप्रैल, 2015.

संयुक्त सचिव
20/4/15

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।

Check List

Sl. No.	Information/ Information's to be mentioned	Remarks
1	Whether the date of birth, date of continuous appointment in the qualifying grade and date of confirmation in service of the concerned officer/officers furnished to GAD is true and verified with official records	
2	Whether the name and date of birth of officer/officers sent to GAD have tallied with the seniority list and in case of any variation reasons and factual position should be mentioned in brief	
3	Whether integrity of concerned officer/officers is unquestioned	
4	Whether duly signed Statement of disciplinary proceedings, criminal proceedings, adverse remarks and consolidated statement of the officer in Annexure 4.1 (A & B) 4.2, 6 and 3.4-A furnished	
5	Whether any court matter / directions are pending against the concerned officer / officers	

Signature of the competent Authority

With Name and Designation.

Bio-Data of Non SCS Officers

1. Name of Officer-
2. Date of Birth-
3. Educational Qualification-
4. Whether belongs to SC/ST/OBC-
5. Date of confirmation in Gazetted Posts-
6. Present Post held-
7.
 - (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service-
 - (ii) Name of the post-
 - (iii) Whether holding the post substantively and the date since when-

8. Details of Gazetted Post held-

S.No.	Name of the posts held	Category of the posts	Period	Scale of pay	Duties (in brief)
-------	------------------------	-----------------------	--------	--------------	-------------------

9. Achievement in Brief (Including publications if any)-
10. Training undergone-

Signature

Nname-----

Designation -----

Annexure-4 1-A

(A) Details of Disciplinary Proceeding Pending Against Eligible Officers				
Sl. No	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Chief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature of the Competent Authority
with name and designation

Details of Criminal Proceedings pending against the Officers

Sl. No.	Name of officers/warden	Date of issue of Charge Sheet to the Officer	Court / State / District / Sessions	Present Status
1.	2	3	4	5

Signature of the Competent Authority
with name and designation

Certificate (Annexure-3) Communicated for Adverse Remarks in respect of eligible Officers.

Name of the concerned officer-

Designation-

Name of the Service to which the officer belongs-

1. Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Govt. to the officers concerned.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

2. Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

3. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

4. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time & decision of the State Government has been taken in this regard.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

Signature of the Competent Authority
with name and designation

Consolidated Statement of Non-State Civil Service Officers for Consideration for
Appointment to the IAS as on 1st January of the year List Year-2013.

Sl. No.	Name of Officers (S/Os)	Whether SC/ST/CBC	Date of Birth	Post held (Declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service)	Whether the post held is Gazetted and in substantive capacity. If so, the date of confirmation in that post.	Pay Scale of the Post. Declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service)	Remarks
						Pay of the declared equivalency	Present Posting

Signature

Name-----

Designation-----

